(xi) मानक पंजीकरण (धारा 26)

जीएसटी के अन्तर्गत डीम्ड पंजीकरण कर विशिष्ट नहीं है, जिसका अर्थ है कि सभी करों के लिए एकल–एकल पंजीकरण है। यानि सीजीएसटी भी एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर।

किसी भी एसजीएसटी अधिनियम/यूटीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/यूआईएन के अनुदान के सीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/यूआईएन के रूप में माना जाता है। बशर्ते कि पंजीकरण के लिए आवेदन सीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार नहीं किया गया है।

इसके अलावा, एसजीएसटी अधिनियम/यूटीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण/यूआईएन के लिए आवेदन की अस्वीकृति को सीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन के पंजीकरण की अस्वीकृति माना जाता है।

8. पंजीकरण में संशोधन (धारा 28) [Amendment of Registration (Section 28)]

एक पंजीकरण व्यक्ति को पंजीकरण आवेदन में कुछ बदलाव/संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। पंजीकरण आवेदन कोई और गैर प्रमुख क्षेत्रों में विवरण की दो श्रेणियां हैं। मुख्य क्षेत्र व्यवसाय का नाम है। (कानूनी नाम) यदि पैन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हित धारकों के अतिरिक्त/विलोपन, व्यवसाय का प्रमुख स्थान (राज्य में परिवर्तन के अलावा) या व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान (राज्य में परिवर्तन के अतिरिक्त)। अन्य सभी क्षेत्र गैर–प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे दिन के दिन के कार्यपालक के नाम, ई–मेल आई डी, मोबाइल नम्बर आदि।

यदि परिवर्तन पंजीकरण आवेदन संख्या में मुख्य जानकारी में है, तो करयोग्य व्यक्ति परिवर्तन की आवश्यकता होने पर घटना के 15 दिनों के भीतर संशोधन के लिए आवेदन करेगा। उचित अधिकारी, अगले 15 दिनों के भीतर संशोधन को स्वीकृति देगा। अन्य परिवर्तन गैर कोई जानकारी के लिए, उचित अधिकारी की कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और संशोधन कर योग्य व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर अपने आप से प्रभावित हो सकता है। पंजीकरण में संशोधन से संबंधित प्रावधान धारा 28 में सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 19 के साथ पढ़े गए हैं।

उसी के महत्वपूर्ण पहलुओं पर यहां चर्चा की गई है :

- जहां पंजीकरण आवेदन/यूआईएन आवेदन से सुसज्जित विवरणों में कोई बदलाव होता है, पंजीकृत व्यक्ति निर्धारित तरीके से एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, या तो पंजीकरण या विशिष्ट पहलचान संख्या प्राप्त करने के समय या समय–समय पर संशोधित जैसे कि 15 दिनों के भीतर/आम पोर्टल पर इस तरह के परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ परिवर्तन।
- सूचना के मुख्य क्षेत्रों के संशोधन के मामले में, उचित अधिकारी उसके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर था निर्धारित तरीके से पंजीकरण विवरण में संशोधनों को स्वीकृति या अस्वीकार कर सकता है। इस तरह के संशोधन वारंट को संशोधित करने की घटना की तारीख से प्रभावी होंगे।
- हालांकि, जहां परिवर्तन जानकारी के गैर–प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। पंजीकरण प्रमाण–पत्र सामान्य पोर्टल पर संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पंजीकरण विशेष में संशोधन के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा।
- एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत संशोधनों की किसी भी अस्वीकृति या अनुमोदन को इस अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकृति या अनुमोदन माना जाएगा।
- पंजीकरण के लिए आवेदन की कोई भी विशेष तिथि आमतौर पर आम पोर्टल पर संशोधन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से पहले की तारीख से प्रभावी नहीं होगी। आयुक्त के आदेश के अलावा लिखित में दर्ज किए जाने के कारणों और आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आदेश के अधीन।
- पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन पैन में परिवर्तन के लिए आवेदन पैन में परिवर्तन के लिए दायर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जीएसटी पंजीकरण पैन–आधारित है। अगर पैन में कोई बदलाव होता है तो पंजीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इस प्रकार जहां किसी पंजीकृत व्यक्ति के पैन के परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यवसाय के संविधान में परिवर्तन होता है, उक्त व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- इसी तरह, पंजीकरण फार्म में संशोधन के लिए आवेदन नहीं भरा जा सकता है। यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार के स्थान पर परिवर्तन होता है, क्योंकि जीएसटी पंजीकरण राज्य विशिष्ट है। यदि कोई अपने व्यवसाय को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना चाहता है। तो उसे अपने वर्तमान पंजीकरण को स्वेच्छा से रद्द कर देना चाहिए और राज्य में नए पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए और जो वह अपने व्यवसाय को स्थानांतरित कर रहा है।

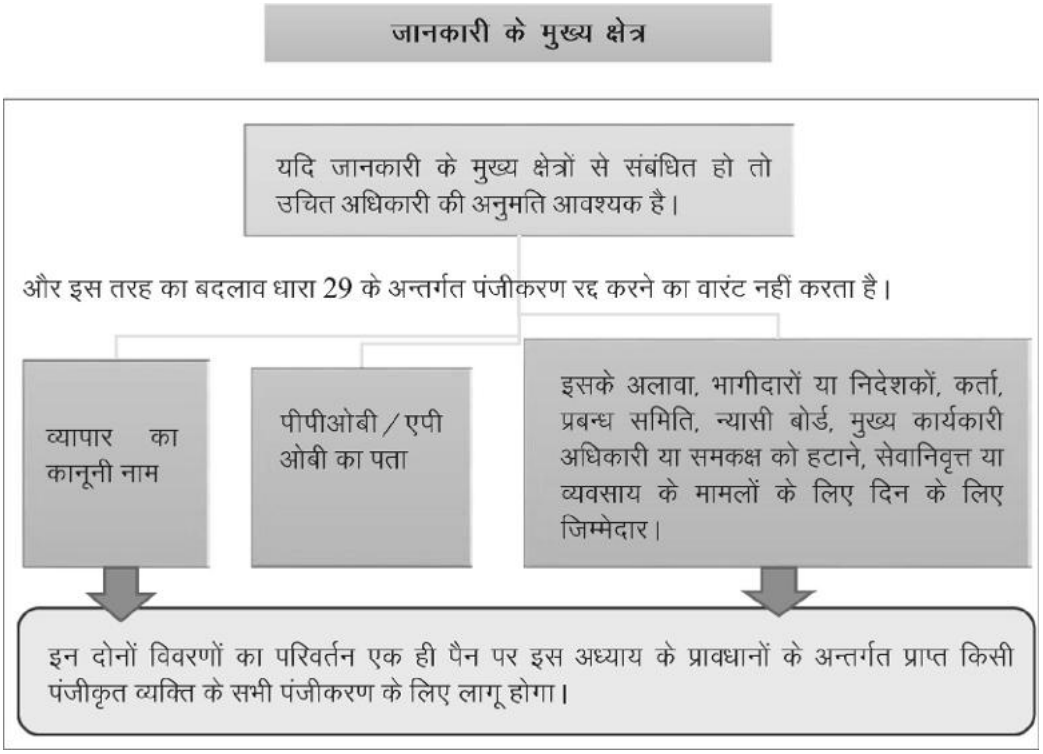

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऑनलाइन हस्ताक्षरित जीएसटी पोर्टल के बाद ही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल नंबर/ई–मेल पते में संशोधन किया जा सकता है।

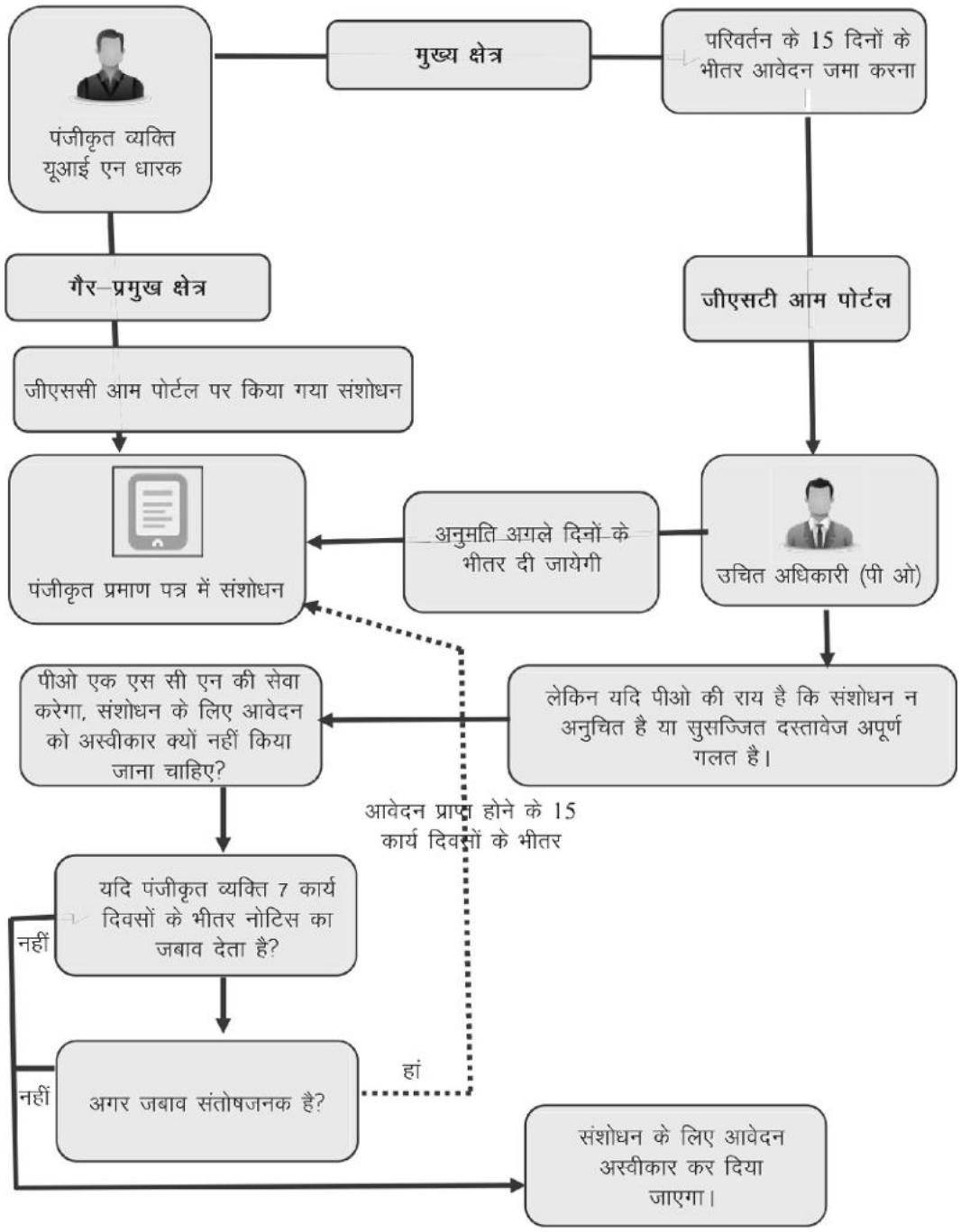

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है :

(a) आवेदन जमा करने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, या

(b) कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर,

पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए लागू सीमा तक संशोधित किया जाएगा और संशोधित प्रमाण पत्र पंजीकृत व्यक्ति को आम पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. पंजीकरण रद्द करना या निलम्ब करना तथा रद्दीकरण का निरसन (धारा 29 और 30) [Cancellation or Suspension of Registration and Revocation of Cancellation (Sections 29 and 30)]

वैधानिक प्रावधान

धारा 29	
उप–धारा	**पंजीकरण को रद्द करना या स्थापित करना**
(1)	उचित अधिकारी या तो अपने प्रस्ताव पर या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, पंजीकरण रद्द कर सकता है। इस तरह से और इस तरह की अवधि के भीतर निर्धारित है। इस तरह से और इस तरह की अवधि के भीतर निर्धारित किया जा सकता है होने परिस्थितियों के संबंध में :
	(a) व्यवसाय को किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है। जिसमें मालिक की मृत्यु भी शामिल है। अन्य कानूनी इकाई के साथ समामेलित, ध्वस्त या अन्यथा निपटाया गया।
	(b) व्यवसाय के संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
	(c) कर योग्य व्यक्ति, धारा 25 की उपधारा (3) के तहत पंजीकृत व्यक्ति के अलावा, अब धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बशर्ते कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाही की बकाया के दौरान पंजीकरण को ऐसी अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।
(2)	उचित अधिकारी किसी भी पूर्व व्यापी तिथि सहित ऐसी तारीख से किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकता है, क्योंकि वह फिट हो सकता है। जहां :
	(a) एक पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन किया है या निर्धारित नियमों को निर्धारित किया जा सकता है।
	(b) धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति ने लगातार तीन कर अवधि के लिए वापसी प्रस्तुत नहीं किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(c) किसी भी पंजीकृत व्यक्ति जो खण्ड (b) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा छह महीने की निरंतर अवधि के लिए वापसी से सुसज्जित नहीं है।
	(d) कोई व्यक्ति जिसने धारा 25 के उप–सेक्शन 3A के तहत स्वैच्छिक पंजीकरण लिया है। पंजीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं किया है।
	(e) पंजीकरण धोखाधड़ी, बिल्कुल गलत बयानबाजी या तथ्यों के दमन द्वारा प्राप्त किया गया है।
	बशर्ते कि उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पंजीकरण रद्द नहीं करेगा।
	यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाहियों की बकाया के दौरान, उचित अधिकारी ऐसे अवधि के लिए पंजीकरण को निलंबित कर सकता है और इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है।
(3)	इस धारा के तहत पंजीकरण रद्द करने से व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कर और अन्य देयताओं का भुगतान करने या इस अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व का निर्वहन करने या रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए बनाए गए नियमों को प्रभावित नहीं किया जाएगा या नहीं रद्दीकरण की तारीख से पहले या बाद में कर और अन्य बकाया निर्धारित किए जाते हैं।
(4)	राज्य माल और सेवाकर अधिनियम या केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम के तहत पंजीकरण को रद्द करना,जैसा कि मामला हो सकता है। इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के रूप माना जाएगा।
(5)	प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उधार बहीखाता या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में देन के माध्यम से राशि का भुगतान करेगा, जो स्टॉक में रखे गए निवेश और तैयारी की स्थिति में या तैयार माल में निहित निवेश के संबंध के निवेश कर के उधार के बराबर है। भण्डार या पूंजी माल या यन्त्र और मशीनरी ऐसे निरस्तीकरण की तारीख से पहले या इस तरह के सामानों पर देय उत्पादन कर, जो भी अधिक हो, निर्धारित किए गए तरीके से गणना की जाती है। बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी के मामले में, कर योग्य व्यक्ति उक्त पूंजीगत माल संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए निवेश कर उधारी के बराबर राशि भुगतान करेगा। जो निर्धारित प्रतिशत या लेनदेन पर कर के रूप में कम किया जाएगा। धारा 15के तहत ऐसे पूंजीगत सामान या संयंत्र और मशीनरी का मूल्य, जो भी अधिक है।
(6)	उपधारा (5) के तहत देय राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी,जो निर्धारित की जा सकती है।
धारा 30	**पंजीकरण रद्द करने का निरसन**
(1)	ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा उसकी ही गति से रद्द कर दिया गया हो;

© The Institute of Chartered Accountants of India

	ऐसे अधिकारी को सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारित तरीके से पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। रद्द करने का आदेश।
(2)	उचित अधिकारी, इस तरह से और इस तरह की अवधि के भीतर आदेश के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है या तो पंजीकरण रद्द कर दे या आवेदन को अस्वीकार कर दें। यह स्वीकार किया कि पंजीकरण रद्द करने का आवेदन तब तक कि अस्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक कि आवेदक को रद्द न कर दिया गया हो। सुना जाने का अवसर दिया।
(3)	राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्र शासित प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम के तहत पंजीकरण को रद्द करने का मामला, जैसा भी हो। इस अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने का निरसन माना जाएगा।

विश्लेषण (Analysis)

पंजीकरण रद्द करने और इसके निरसन से संबंधित प्रावधान क्रमशः धारा 29 और 30 में शामिल है। सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियमों के 20 से 23 के साथ पढ़े जाते हैं। जीएसटी के तहत दिए गए पंजीकरण को निर्दिष्ट कारणों से रद्द किया जा सकता है। निरस्तीकरण या तो विभाग द्वारा अपनी गति से शुरू किया जा सकता है। या पंजीकृत व्यक्ति अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।

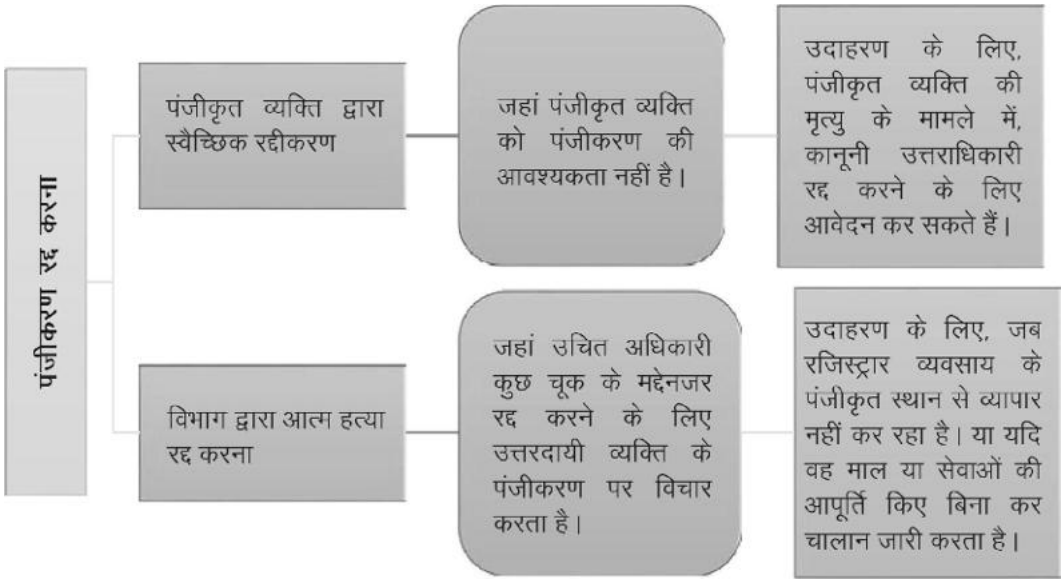

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) ऐसी परिस्थितियां जहां पंजीकरण रद्द होना उत्तरदायी है। [धारा 29(1) और (2)]

(A) ऐसे हालात जब पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। या तो उचित अधिकारी द्वारा या पंजीकृत व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के आवेदन पर (ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर)

पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या विभाग द्वारा रद्द करना।		
— व्यापार बंद कर दिया गया, — किसी भी कारण से पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है। जिसमें मालिक की मृत्यु भी शामिल है। — अन्य कानूनी इकाई के साथ समामेलित — ध्वस्त या — अन्यथा निपटाया गया	व्यापार के संविधान में परिवर्तन	कर योग्य व्यक्ति (स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत व्यक्ति के अलावा) जो अब धारा 22 या धारा 24 के अन्तर्गत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

B. **ऐसी परिस्थितियां जब उचित अधिकारी अपने आप पंजीकरण रद्द कर सकता है।**

निम्नलिखित मामलों में, पंजीकरण किसी भी पूर्वव्यापी तिथि सहित इस तरह को तारीख से उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है, क्योंकि वह इसे रद्द कर सकता है :

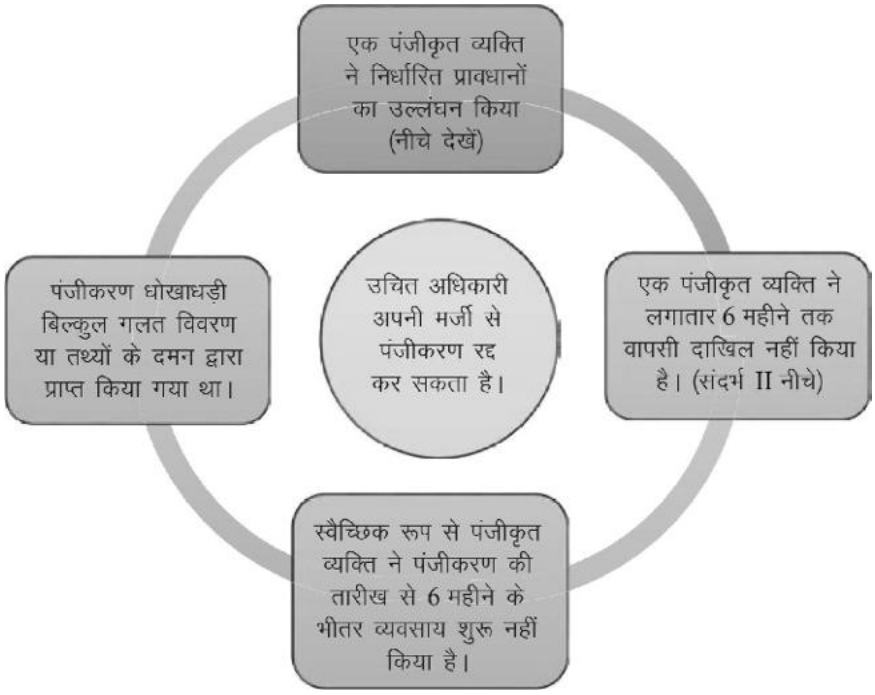

© The Institute of Chartered Accountants of India

(I) निर्धारित उल्लंघन जो एक पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। (नियम 21) पंजीकृत व्यक्ति :

(a) व्यापार के घोषित स्थान से किसी भी व्यवसाय का संचालन नहीं करता है।

(b) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण माल/सेवाओं की आपूर्ति के बिना चालान/बिल जारी करता है। या नियम बनाए जाते हैं।

(c) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। सीजीएसटी ही अधिनियम, 2017 की धारा 171 में मुनाफाखोरी–रोधी उपाय से संबंधित प्रावधान है।[12]

(ii) रचना उगाही का विकल्प चुनने वाले व्यक्ति के मामले में लगातार 3 कर अवधि।

(C) पंजीकरण का निलंबन (धारा 29 के लिए पहला नियम (1) और दूसरा नियम अनुभाग 29 के लिए (2) नियम 21A के साथ पढ़ा गया)

एक बार जब कोई पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करता है। या उचित अधिकारी उसका पंजीकरण रद्द करना चाहता है, तो उचित अधिकारी पंजीकरण क्षेत्र को रद्द करने से संबंधित कार्यवाही की बकायी के दौरान अपना पंजीकरण निलंबित कर सकता है। इस तरह एक करदाता को पंजीकरण रद्द करने से संबंधित कार्यवाही की बकाया के दौरान जीएसटी कानून के तहत वापसी दाखिल करने सहित नियमित अनुपालन के मुक्त किया जाता है।

पंजीकरण के निलंबन की अवधि और तरीका इस प्रकार है :

1. जहां पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है :

   जहां एक पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है। पंजीकरण को निलंबित करने से माना जाएगा :

   (a) आवेदन जमा करने की तारीख

   या

   (b) जिस तारीख से रद्द करने की मांग की जाती है। जो भी बाद में है। पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही पूरी करने के लिए लंबित है।

2. जहां विभाग द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर पंजीकरण रद्द करना शुरू किया गया है :

   जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं। कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द होने के लिए उत्तरदायी है। वह उक्त व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद ऐसे व्यक्ति के पंजीकरण को निलंबित कर सकता है। जिसके द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभाव होता है। इसे पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही पूरी करने के लिए लंबित है।

[12] Anti-profeetering measure shall be discussed at Final Level.

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. एक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण ऊपर के रूप में निलंबित कर दिया गया है।
   - निलंबन की अवधि के दौरान कोई कर योग्य आपूर्ति नहीं करेगा और
   - धारा 39 के तहत किसी भी वापसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

4. पंजीकरण का निलंबन उचित अधिकारी द्वारा रद्द करने की कार्यवाही को पूरा करने पर रद्द माना जाएगा। इस तरह का निरसन उस तारीख से प्रभावी होगा। जिस दिन निलंबन का प्रभाव पड़ा था।

(ii) पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया या (नियम 20 और 22)

(a) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रद्दीकरण

आवेदन

- ❑ पंजीकरण रद्द करने की मांग करने वाला पंजीकृत[13] व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से घटना के वारंट रद्द होने की 30 दिनों के भीतर निर्धारित रूप में पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- ❑ उन्हें आवेदन में स्टॉक या निवेश के भण्डार में रखे गए निवेश का विवरण और भण्डार में रखे गए/तैयार माल और भण्डार में रखें पूंजीगत सामानों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जहां से पंजीकरण रद्द करने की मांग की जाती है। देयता विवरण भुगतान, यदि कोई हो, इस तरह के दायित्व के खिलाफ किया गया और उसके संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आदेश

- ❑ जहां एक व्यक्ति जिसने अपना पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। वह अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उचित अधिकारी पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी करेगा।

(b) विभाग द्वारा स्वप्रेरणा रद्द करना

- ❑ जहां उचित अधिकारी पंजीकरण के संबंध में स्वतः ही रद्द कर देता है। वह बिना कारण बताओ नोटिस दिए और पंजीकृत व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना उसे रद्द नहीं करेगा। ऐसे कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के जबाव को नोटिस की सेवा के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होता है।
- ❑ यदि एस सीएन का उत्तर संतोषजनक है। तो उचित अधिकारी कार्यवाही छोड़ देगा और निर्धारित रूप में एक आदेश पारित करेगा। हालांकि जहां एससीएन को जबाव देने के बजाए 6 महीने (रचना योजना प्रदायक के मामले में 3 महीने)[14] की लगातार अवधि के लिए वापसी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए सभी लंबित वापसी प्रस्तुत करता है और लागू होने के साथ कर बकाया का पूरा भुगतान करता है। ब्याज और देर से शुल्क, उचित अधिकारी कार्यवाही छोड़ देंगे और एक आदेश पारित करेंगे।

---

[13] Under section 29(1)

[14] viz. contravention of the provisions contained in section 29(2)(b)/(c) of the CGST Act

© The Institute of Chartered Accountants of India

जहां किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द होने के लिए उत्तरदायी है। उचित अधिकारी एससीएन को जबाव देने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी करेगा।

(c) रद्द करने की प्रभावी तिथि

- पंजीकरण को रद्द करना उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख से प्रभावी होगा और रद्द करने के आदेश में उल्लिखित है। वह करयोग्य व्यक्ति को धारा 29 (5) के तहत देय राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या दण्ड के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देगा।

(iii) पंजीकरण रद्द करने पर देय राशि [धारा 29(5) और (6)]

एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है को नकद राशि के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन करना होगा।

(i) निवेश कर लेन (आईसीटी) के संबंध में;

- अर्ध तैयार/तैयार माल, भण्डार या में निहित निवेश और निवेश का भण्डार
- पूंजीगत सामान या संयंत्र और मशीनरी तुरंत रद्द करने की तारीख से पहले, या।

(ii) इस तरह के माल पर देय कर जो भी अधिक हो,

इस तरह से गणना की जाती है। जो निर्धारित हों।

हालांकि पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी के मामले में, कर योग्य व्यक्ति उक्त पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए निवेश कर लेन के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जो निर्धारित प्रतिशत या प्रतिशत पर घटाया जा सकता है। धारा 15 के तहत ऐसे पूंजीगत सामान या संयंत्र और मशीनरी का लेनदेन मूल्य, जो भी अधिक हों।

कर की राशि के निर्धारण का तरीका सीजीएसटी नियमों, 2017 के नियम 44 के तहत निर्धारित किया गया है। धारा 29(5) और नियम 44 के पठन पर, इसे अग्रानुसार समझा जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऋण की राशि निवेश के संबंध में उलट दी जाएगी :

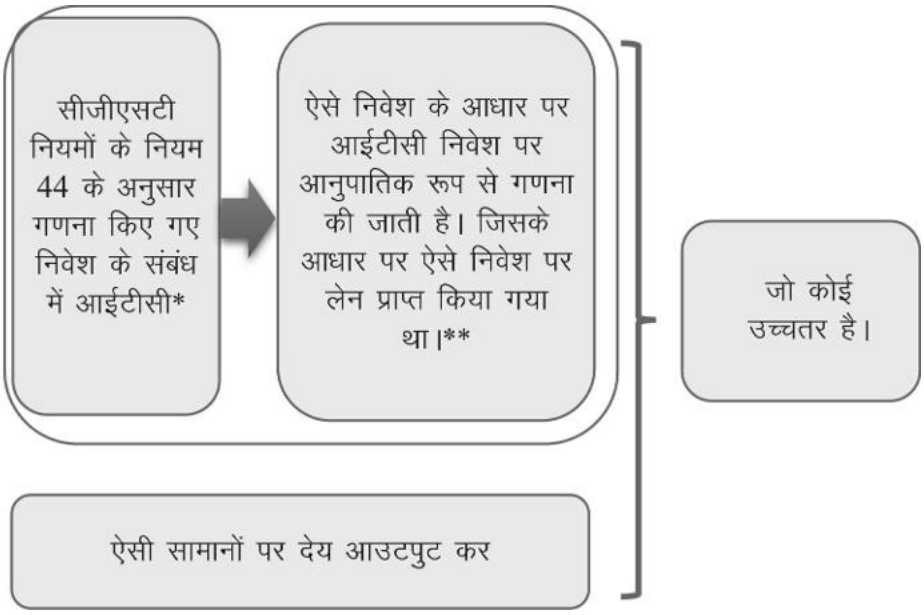

* अध्याय-6 में विस्तार से चर्चा की गई : इनपुट टैक्स क्रेडिट

** यदि कर चालान उपलब्ध नहीं है, तो रद्द किया जाने वाला आईटीसी वापस करने की तिथि पर ऐसे सामानों के प्रचलित बाजार मूल्य (एमपी) पर आधारित होगा।

- ❑ पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में क्रेडिट राशि को वापस कर दिया जाएगा :

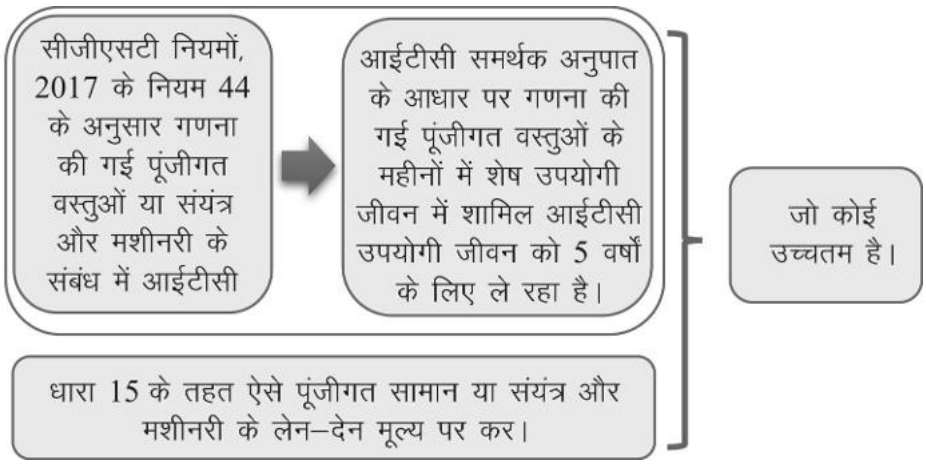

उदाहरण पूंजीगत माल 4 साल, 6 महीने और 15 दिनों के लिए उपयोग में रहा है। महीने में उपयोगी शेष जीवन = महीने के एक हिस्से को अनदेखा करते हुए 5 महीने। ऐसे पूंजीगत सामानों पर आईटीसी = सी, शेष उपयोगी जीवन के लिए आईटीसी जिम्मेदार है। = C × 5/60

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) रद्द करने के बारे में अन्य बिन्दु :

- एक व्यक्ति जिसे यूआईएन नियम 17 के तहत दिया गया है। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता (नियम 20)।
- पंजीकरण रद्द करने से पंजीकरण रद्द करने की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए अधिनियम के तहत कर और अन्य देयताओं का भुगतान करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति की देयता को प्रभावित नहीं किया जाएगा[15] [धारा 29 (3)]
- एसजीएसटी अधिनियम/यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण को रद्द करने की सीजीएसटी अधिनियम [धारा 29(4)] के तहत पंजीकरण रद्द करने के रूप में माना जाएगा।
- एक बार पंजीकरण कर प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद, करदाता को एसएमएस और ई–मेल के माध्यम से उसी के बारे में सूचित किया जाएगा। पंजीकरण रद्द करने का आदेश जारी किया जाएगा और ई–मेल और एसएमएस द्वारा प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को सूचित किया जाएगा।
- करदाता को रद्दीकरण आदेश में उल्लिखित रद्द करने की तारीख के बाद की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, वह पहले की अवधि का रिटर्न जमा कर सकता है। (यानी पंजीकरण रद्द करने की तारीख से पहले की अवधि जिसके लिए पंजीकरण सक्रिय था)।

(v) पंजीकरण रद्द करने का निरसन [धारा 30 नियम 23 के साथ]

(A) निरस्तीकरण की प्रक्रिया

- जहां उचित अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। ऐसे पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण रद्द करने के आदेश की सेवा तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे उचित अधिकारी को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यदि उचित अधिकारी इस बात से संतुष्ट है। निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त आधार है तो वह आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक आदेश द्वारा पंजीकरण रद्द कर सकता है और आवेदक को भी सूचित कर सकता है।
- अन्यथा वह निरसन आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, उसे पहले एससीएन को आवेदक को जारी करना होगा जो एससीएन की सेवा के 7 कार्य दिवसों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। उचित अधिकारी स्पष्टीकरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन (उसी को स्वीकार/अस्वीकार) कर देगा।

[15] Whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

© The Institute of Chartered Accountants of India

(B) जहां पंजीकृत व्यक्ति को रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता के लिए पंजीकरण रद्द कर दिया गया था :

जहां रिर्टन को प्रस्तुत करने में पंजीकृत व्यक्ति की विफलता के लिए पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। निरसन के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति से चूक होती है। अर्थात् व्यक्ति को ऐसे अच्छे रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। हालांकि पंजीकरण रद्द करने की पूर्वगामी तिथि या पूर्व व्यापी तिथि से उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

(1) जहां पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख से प्रभावी पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि सामान्य पोर्टल रद्दीकरण की प्रभावी तिथि के बाद रिटर्न प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन रद्दीकरण के आदेश से पहले की अवधि (यानी रद्दीकरण आदेश में उल्लिखित तिथि से पहले की अवधि) के लिए रिटर्न रद्द किया जा सकता है।

जहां पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख से प्रभाव को रद्द कर दिया जाता है, रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निरस्त करने के लिए आवेदन करने से पहले इस तरह के निरस्त होने की तारीख तक सभी रिटर्न प्रस्तुत करना पड़ता है। और देय राशि का भुगतान करना पड़ता है। कर के रूप में ऐसे वापसी के साथ–साथ ब्याज के लिए देय किसी भी राशि के साथ, उक्त वापसी के संबंध में देय दण्ड या विलंब शुल्क। हालांकि, चूंकि पोर्टल पंजीकरण रद्द करने की तारीख के बाद वापसी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए रद्द करने के आदेश की तारीख से अवधि तक सभी वापसी पंजीकरण रद्द करने के आदेश की तारीख से पहले एक अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है। निरस्त करने के आदेश की तारीख से 30 दिन।

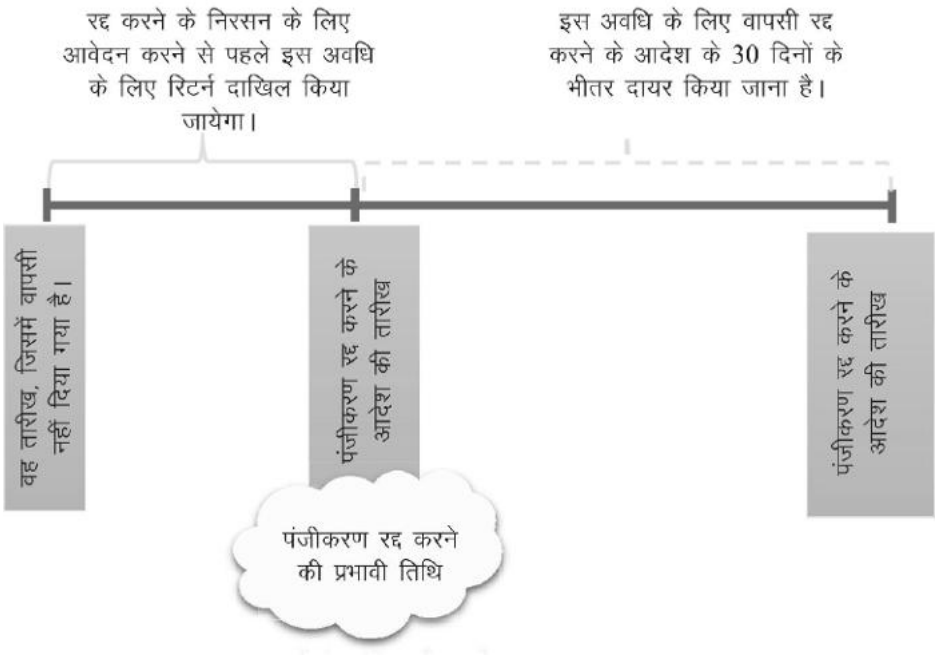

© The Institute of Chartered Accountants of India

(2) जहां पंजीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

जहां पंजीकरण पूर्व व्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले वापसी प्रस्तुत करना संभव नहीं है। उस स्थिति में, पंजीकरण रद्द करने के निरस्तीकरण के लिए आवेदन को दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। इस शर्त के अधीन कि पंजीकरण रद्द करने के आदेश के पंजीकरण की तारीख से प्रभावी पंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी वापसी दाखिल किए जाएंगे। पंजीकरण रद्द करने से ऐसे निरस्तीकरण के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर।

इस अवधि के लिए वापसी 30 दिनों के लिए दायर किया जाना रद्द करने के निरस्तीकरण का आदेश।

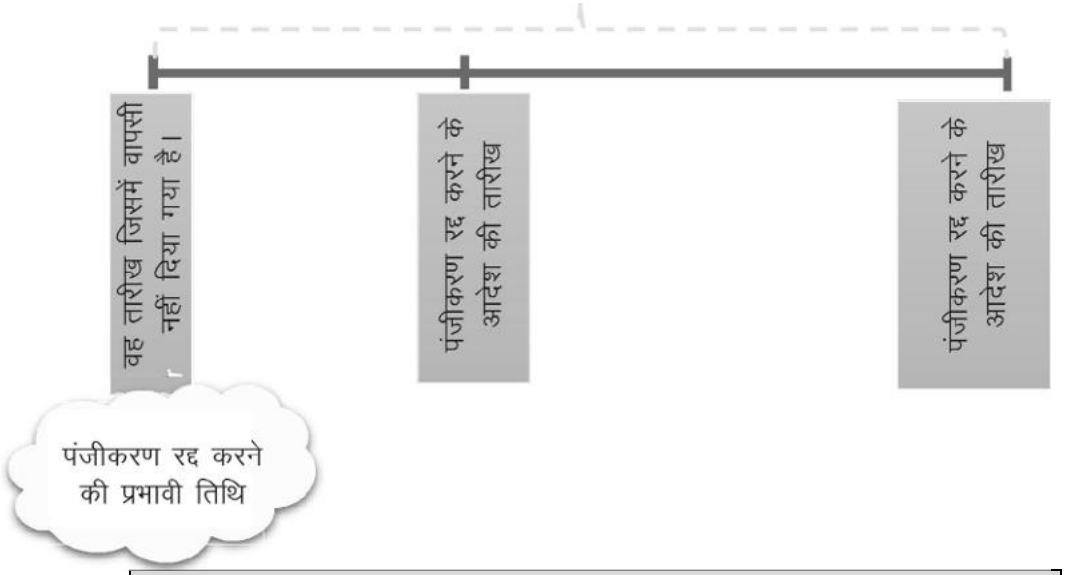

ध्यान देने योग्य बात

- ❖ यूएन धारक (यूएन निकाय, दूतावास और अन्य अधिसूचित व्यक्ति), जीएसटी प्रैक्टिशनर रद्द पंजीकरण के निरसन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि करदाता या उसके कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो कोई भी पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
- ❖ एसजीएसटी अधिनियम/यूटीजीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने का निरसन, जैसा भी मामला हो, पंजीकरण सीजीएसटी अधिनियम को रद्द करने की निरसन माना जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. आओ पुनरावृत्ति करें (Let us Recapituate)

1. पंजीकरण की प्रकृति

जीएसटी में पंजीकरण पैन आधारित और राज्य विशिष्ट है।

प्रतिराज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में एक पंजीकरण

हालांकि राज्य में व्यवसाय के अलग–अलग स्थान रखने वाली व्यावसायिक इकाई अपने व्यवसाय के प्रत्येक स्थान के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त कर सकती है।

जीएसटी की पहचान संख्या जिसे "जीएसटी आईएन" कहा जाता है। एक 15 अंकीय संख्या और उसमें इसे जीएसटीआईएन को शामिल करने वाली पंजीकरण का एक प्रमाण पत्र जीएसटी आई एन को आम पोर्टल पर आवेदक को उपलब्ध कराया जाता है।

जीएसटी के तहत पंजीकरण का विशिष्ट नहीं है। अर्थात् सभी करों के लिए एकल पंजीकरण यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर।

2. पंजीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति

जो सीमा से अधिक है।	• दहलीज की सीमा नीचे के आरेख में अलग से विस्तृत है।
उत्तराधिकार के कारण व्यवसाय के हस्तांतरण के मामले में, आदि।	• व्यापार के उत्तराधिकार की तारीख से पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी बदली।
उच्च न्यायालय आदि के एक आदेश द्वारा समामेलन/अवगुण के मामले में।	• उच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी करते हुए निगमन प्रमाण पत्र जारी करने वाली कम्पनियों के रजिस्टर जिस तारीख को जारी किए जाते हैं। उस तारीख से पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी।

कर योग्य आपूर्ति + छूट की आपूर्ति + निर्यात + अन्तर्राज्य आपूर्ति = कुल कारोबार

समग्र कारोबार की गणना एक ही पैन के लिए भारत आधार पर की जाएगी

© The Institute of Chartered Accountants of India

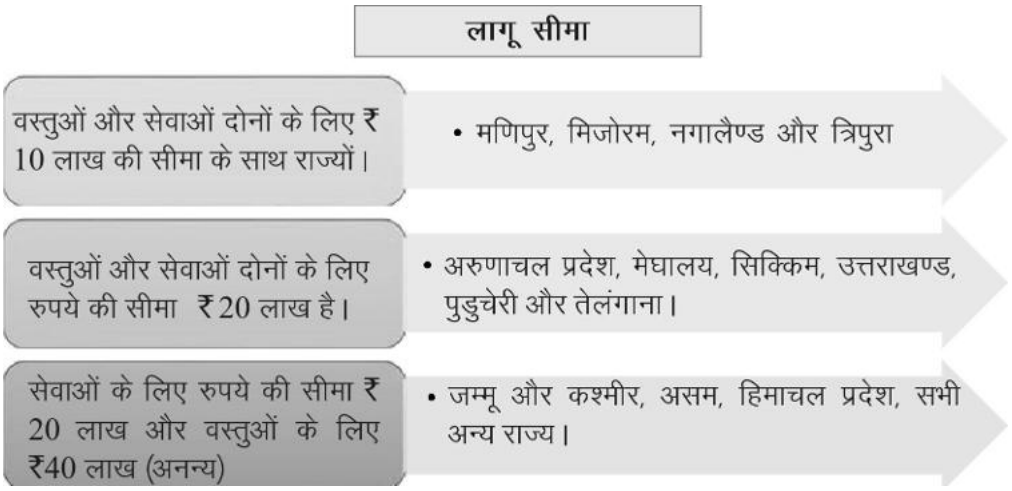

3. कुछ मामलों में अनिवार्य पंजीकरण

अन्तर राज्य आपूर्तिकर्ता	आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति	आपूर्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति वापसी चार्ज आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर देय है।
अनिवासी कर योग्य व्यक्ति	एक व्यक्ति जो किसी अन्य कर योग्य व्यक्ति की ओर से आपूर्ति करता है। (यानी कुछ मूलधन का एक एजेंट)	केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों का व्यक्ति/वर्ग।

4. पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।

व्यक्ति विशेष रूप से वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए हैं। दोनों कर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। पूरी तरह से कर से मुक्त हैं।	कृषक भूमि की खेती से उपज की आपूर्ति तक सीमित है।	केवल वापसी चार्ज आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।
₹ 20 लाख तक कर योग्य सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति	₹ 20 लाख तक के अधिसूचित हस्तकला सामानों की अंतर्राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यक्ति।	₹ 20 लाख तक के अधिसूचित हस्तकला सामानों की अंतर–राज्य कर योग्य आपूर्ति करने वाले आकस्मिक आपूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. पंजीकरण के लिए आवेदन कब और कहां से करें?

ऐसे व्यक्ति जो धारा 22 या 24 धारा के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है।	एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या एक गैर निवासी कर योग्य व्यक्ति।
*हर ऐसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जिसमें वह इतना उत्तरदायी है। *उस तारीख से 30 दिनों के भीतर जिस पर वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।	*ऐसे हर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जिसमें वह इतना उत्तरदायी है। *व्यापार शुरू होने से 5 दिन पहले।

6. स्वैच्छिक पंजीकरण और यू. आई. एन.

स्वैच्छिक पंजीकरण

- धारा 22/24 के तहत पंजीकृत होने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से पंजीकृत नहीं हो सकता है।

विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन)

- संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों की कुछ अधिसूचित एजेंसियों को आपूर्ति के सम्बन्ध में एक यूआईएन जारी किया जाता है।

7. पंजीकरण की प्रभावी तिथि

आवेदन पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बनने के 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

- प्रभावी तारीख वह तारीख है। जिस पर वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

आवेदक पंजीकरण के लिए उत्तरदायी बनने के 30 दिनों के बाद आवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

- प्रभावी तारीख पंजीकरण के अनुदान की तारीख है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. पंजीकरण की प्रक्रिया

पंजीकरण की प्रक्रिया एक चित्र के माध्यम से निम्नानुसार चित्रित की गई है।

भाग 1

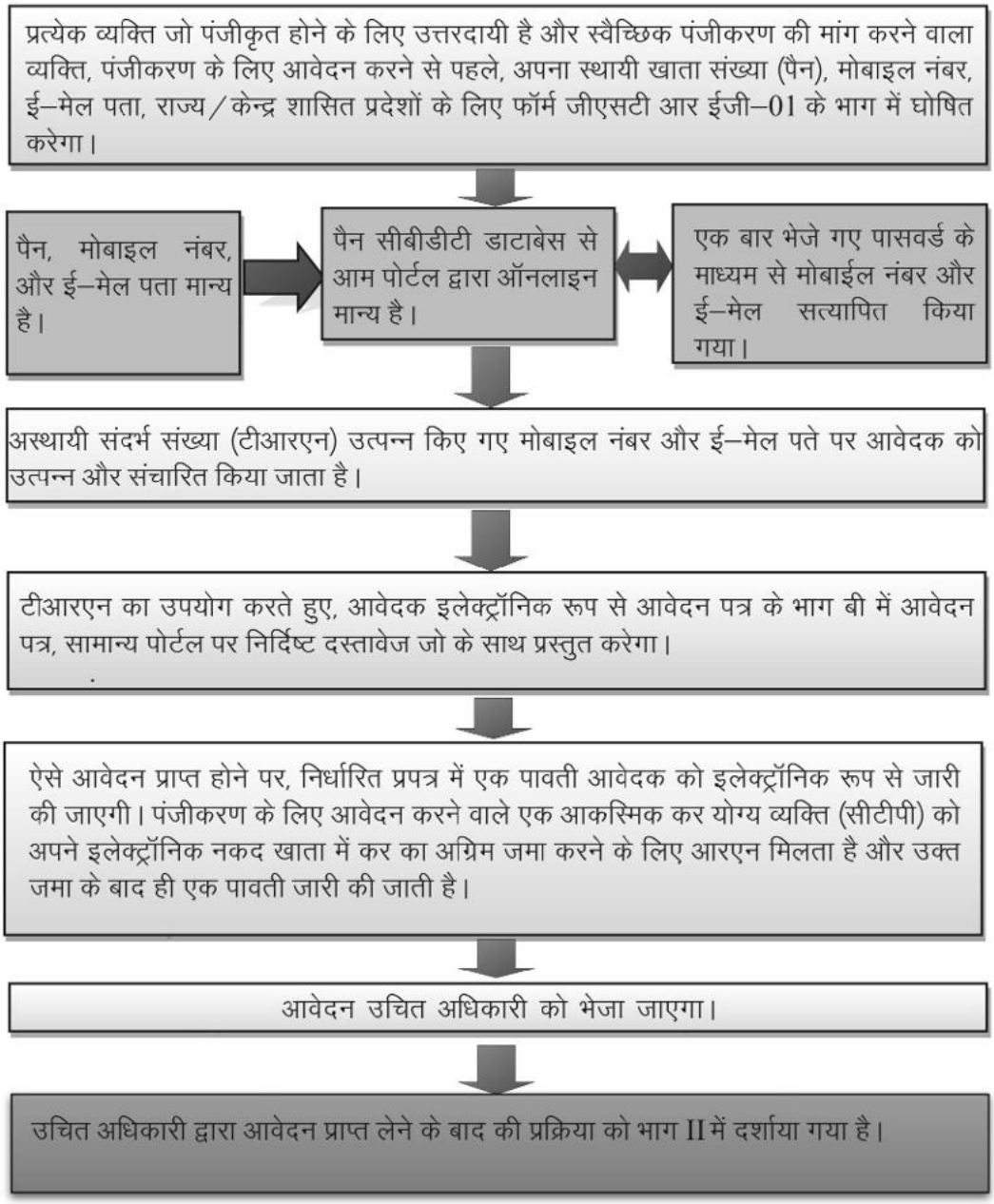

© The Institute of Chartered Accountants of India

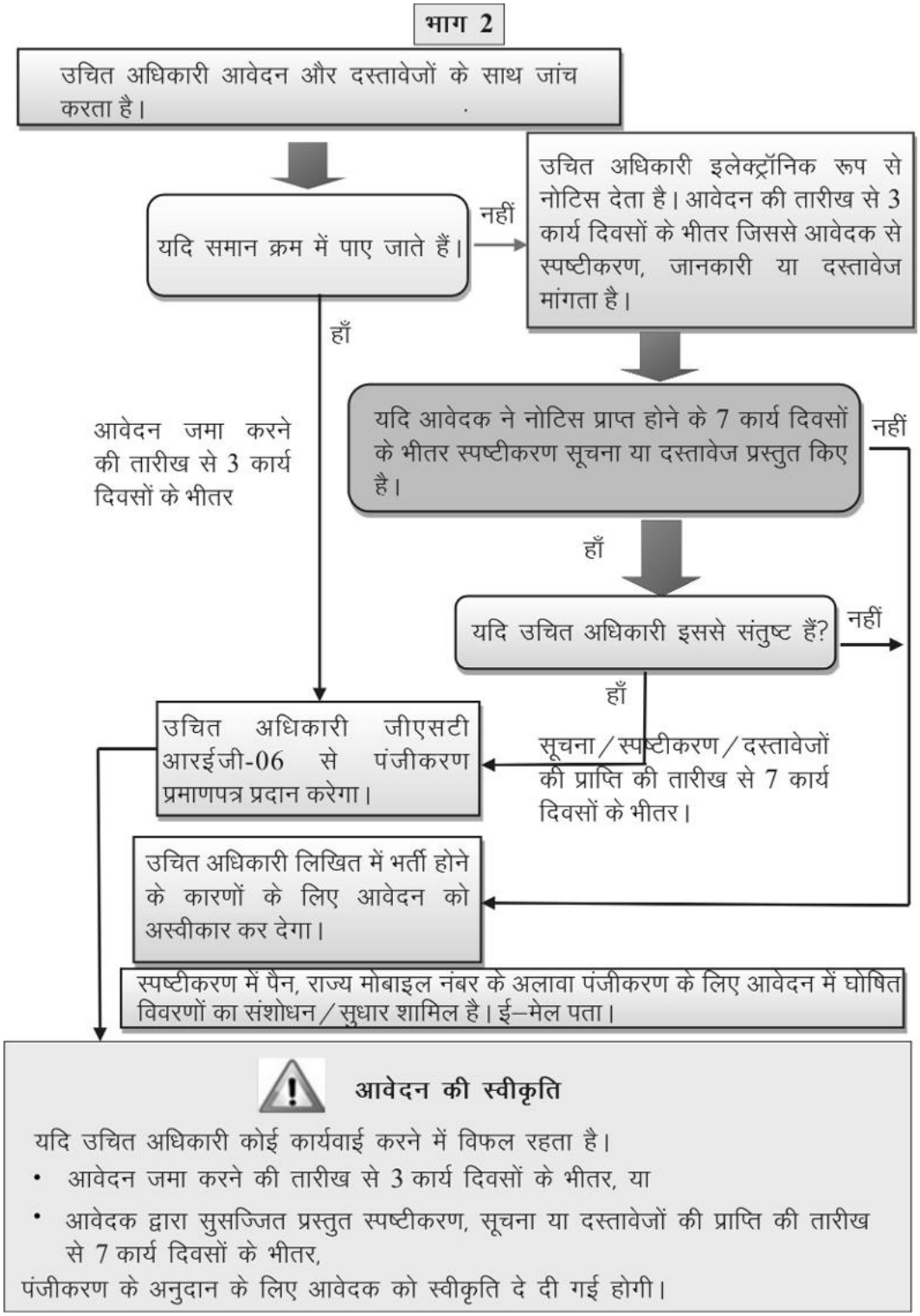

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. सीटीडी और एनआरटीडी के पंजीकरण के लिये विशेष प्रक्रिया

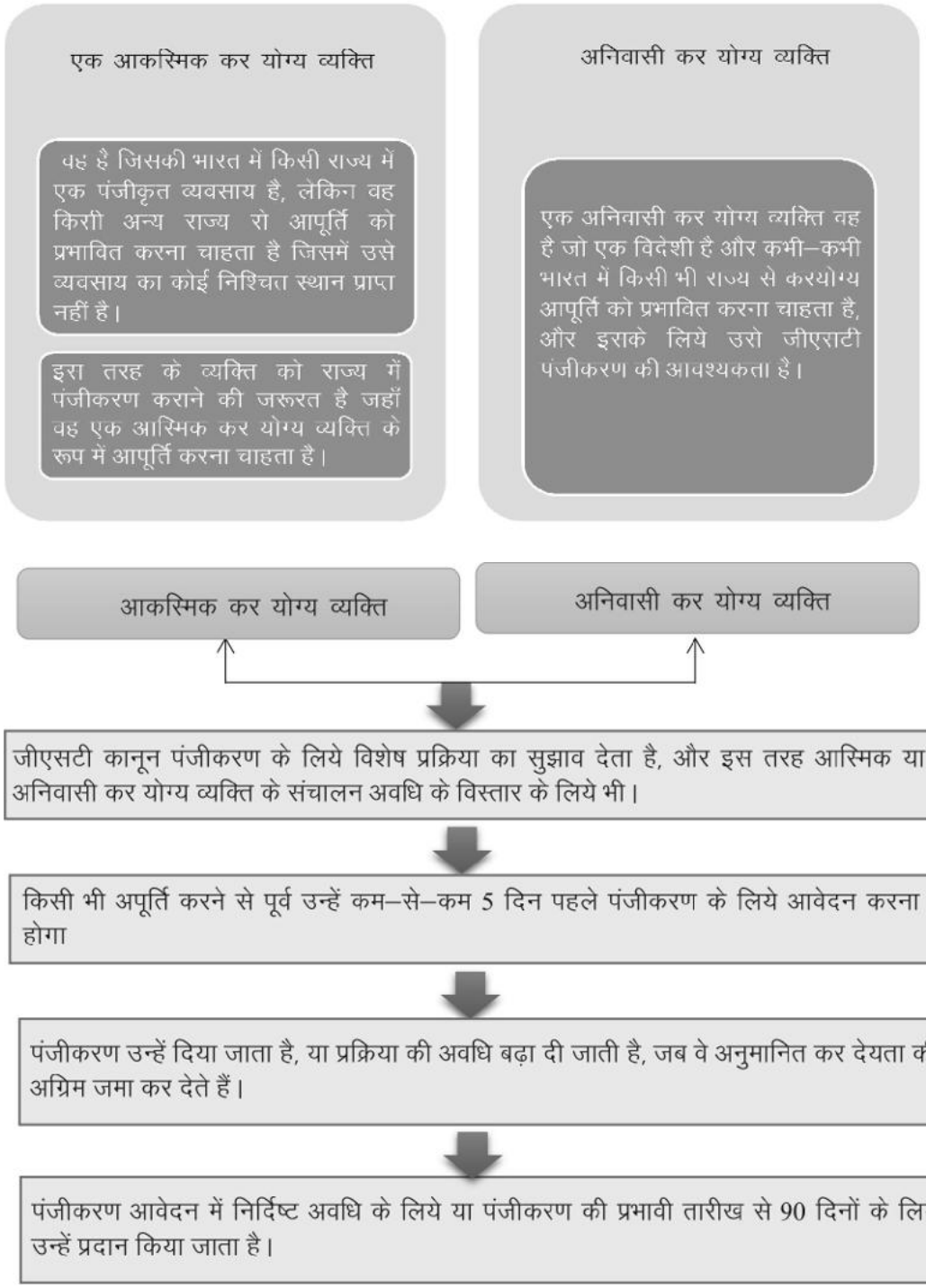

© The Institute of Chartered Accountants of India

11. पंजीकरण में संशोधन

पंजीकरण आवेदन भी कुछ मूल सूचनाओं के बदलाव के अलावा, कर योग्य व्यक्ति कर प्राधिकरण से किसी विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता के बिना संशोधन करने में सक्षम होगा

यदि परिवर्तन व्यवसाय के कानूनी नाम के लिये है, या व्यापार स्थान या व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान कि लिये है तो कर योग्य व्यक्ति घटना में 15 दिनों के अन्दर संशोधन के लिये आवेदन करेगा जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

तो उचित अधिकारी अगले 15 दिनों के अन्दर संशोधन को स्वीकृति देगा।

दिन–प्रतिदिन कार्यकर्ताओं, ई–मेल आईडी, मोबाइल नम्बर आदि नाम जैसे अन्य बदलावों के लिये, उचित अधिकारी की कोई मंजूरी आवश्यक नहीं है, और आमतौर पर कर योग्य व्यक्ति द्वारा इस पर संशोधन किया जा सकता है।

11. पंजीकरण का रद्दीकरण या निलंबन तथा पंजीकरण के रद्दीकरण का निरसन (Cancellation or suspension of registration and revocation of cancellation of registration)

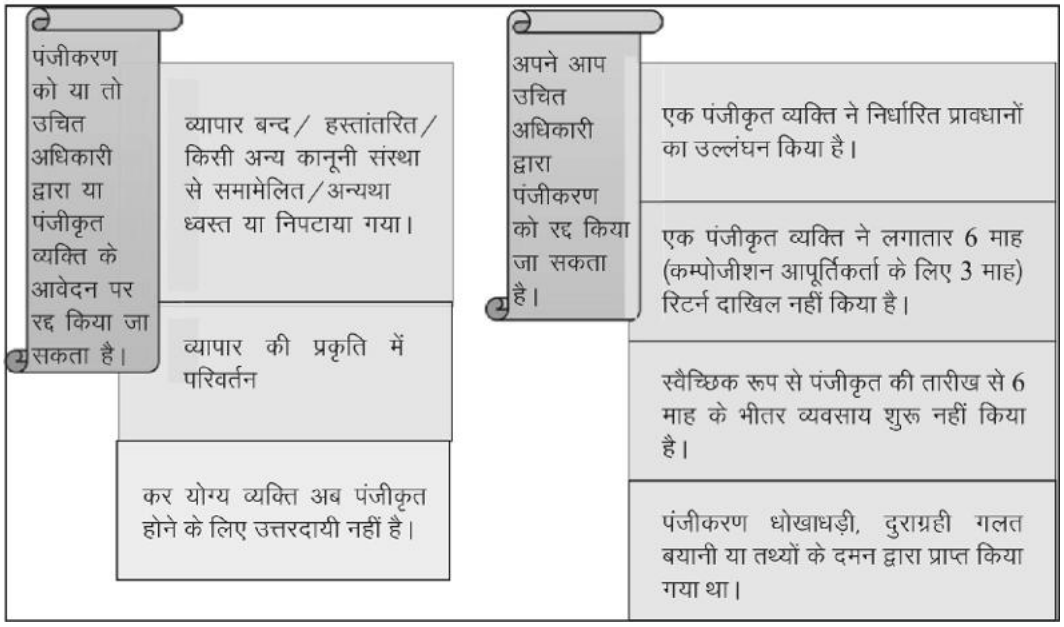

एक बार किसी पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है या उचित अधिकारी उसका पंजीकरण रद्द करने का प्रयास करता है तो, उचित अधिकारी ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दायर पंजीकरण को रद्द करने से सम्बन्धित कार्यवाही की विचाराधीनता के दौरान उसके पंजीकरण को निलंबित कर सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

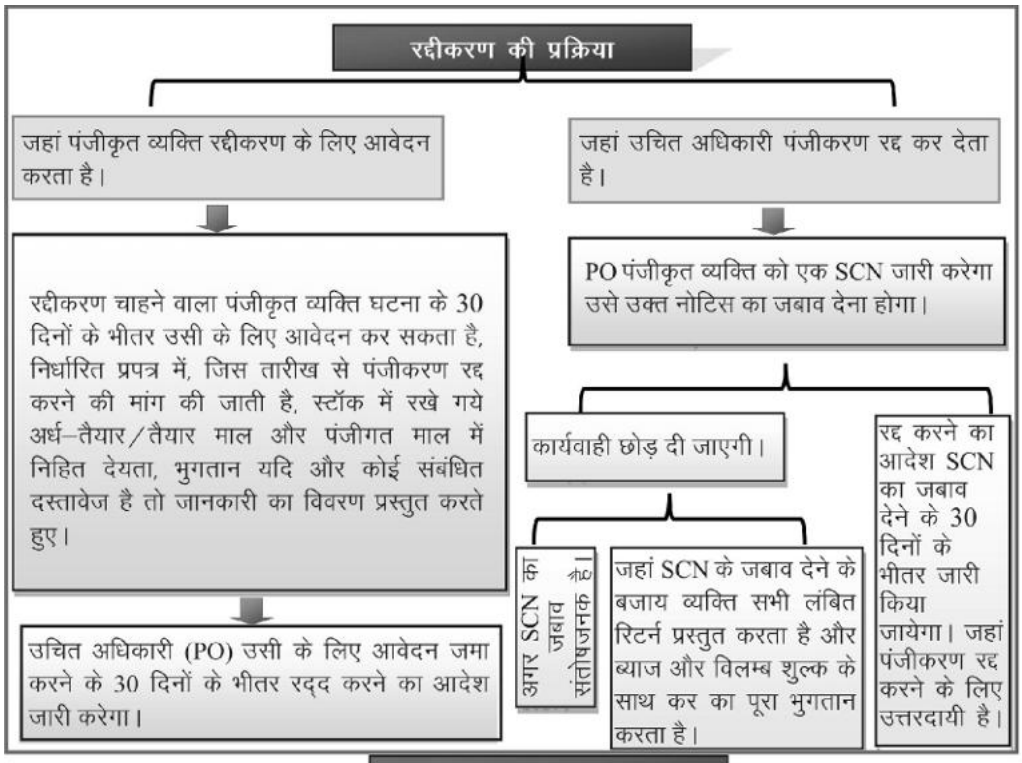

रद्दीकरण का निरसन

यदि उचित अधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो कर योग्य व्यक्ति रद्द करने के आदेश की सेवा के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है। अधिकारी से इसके द्वारा रद्द किए गए आदेश को रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।

हालांकि आवेदन करने से पहले व्यक्ति को सभी कमी (सभी लंबित रिटर्न दाखिल करके, सभी बकाया राशि का भुगतान करके और) के लिए अच्छा करना होगा, जिसके लिए अधिकारी द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

सन्तुष्ट होने पर उचित अधिकारी उसके द्वारा पूर्व में रद्द किए गए आदेश को रद्द कर देगा।

हालांकि, यदि अधिकारी रद्द करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए निष्कर्ष निकालता है तो वो पहले व्यक्ति को नोटिस जारी करने और उसे सुनने के माध्यम से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

10. आपके ज्ञान का परीक्षण (Test Your Knowledge)

1. श्री ए ने दिल्ली में वस्तु की आपूर्ति शुरू की उन्हें पंजीकरण लेना आवश्यक है यदि उनका कुल कारोबार वित्तीय वर्ष में से ज्यादा होगा।
   (a) ₹ 10 लाख
   (b) ₹ 20 लाख
   (c) ₹ 30 लाख
   (d) ₹ 50 लाख
2. कुल कारोबार में शामिलः
   (a) कर योग्य आपूर्ति
   (b) कर मुक्त आपूर्ति
   (c) निर्यात
   (d) उपर्युक्त सभी
3. कौन–सा विवरण सही है ?
   (a) वस्तुओं की कर योग्य अन्तर्राज्यीय आपूर्ति करने वाले व्यक्ति को पंजीकरण लेना अनिवार्य होता है।
   (b) एक व्यक्ति जिसे UIN प्रदान किया गया है पंजीकरण के निराकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
   (c) चाहे SGST अधिनियम/CGST अधिनियम के तहत पंजीकरण का निराकरण CGST अधिनियम के तहत पंजीकरण का निराकरण माना जाएगा।
   (d) उपर्युक्त सभी
4. निम्न में से किन व्यक्तियों को पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है
   (a) वह व्यक्ति जो पूर्णतः कर मुक्त सेवाओं की आपूर्ति करता है
   (b) आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति
   (c) (a) और (b) दोनों
   (d) उपर्युक्त सभी
5. निम्न स्थिति में पंजीकरण की प्रभावी तारीख पता करें :
   (a) दिल्ली की धामपुर इंडस्ट्रीज का कुल कारोबार **1** सितम्बर को ₹ 20 लाख से अधिक हो गया है। वह पंजीकरण के लिए 20 सितम्बर को आवेदन करता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र 25 सितम्बर को जारी किया गया है।
   (b) मेहता टेलीसर्विस लखनऊ में इंटरनेट सेवा प्रदाता है। उसका कुल कारोबार 25 अक्टूबर को ₹ 20 लाख से अधिक है। वह 27 नवम्बर को पंजीकरण के लिए आवेदन करता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र 5 दिसम्बर को जारी किया गया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. आयकर–अधिनियम 1961 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति के पास स्थायी खाता संख्या होगी वह पंजीकरण कराने हेतु योग्य होगा। इसकी एक छूट बताएँ।

7. निम्न में से किन प्रदाताओं को पंजीकरण लेना आवश्यक है :

   (a) वह दलाल जो किसी अन्य कर योग्य व्यक्ति की ओर से वस्तु की आपूर्ति करता है और उसका कुल कारोबार वित्तीय वर्ष के दौरान कुल लागू सीमा से अधिक नहीं है।

   (b) वह किसान जो सिर्फ जमीन की खेती से उपजित उपज की आपूर्ति करता है। जिसकी वित्त वर्ष में कुल कारोबार कुल लागू सीमा से अधिक नहीं है।

8. पंजीकरण लेने के जीएसटी से क्या लाभ हैं?

9. क्या एक व्यक्ति जीएसटी में पंजीकृत हुए बिना जीएसटी इकट्ठा और आईटीसी का दावा कर सकता है।

10. यदि एक व्यक्ति विभिन्न राज्यों में करयोग्य आपूर्ति एक ही PAN संख्या से कर रहा है, क्या वह एक ही पंजीकरण से संचालन कर सकता है?

11. क्या एक व्यक्ति जिसके पास कई व्यापारिक कार्यक्षेत्र एक ही राज्य में हैं वह हर कार्य कार्यक्षेत्र के लिए अलग पंजीकरण ले सकता है?

12. क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एक व्यक्ति स्वैच्छिक पंजीकरण ले सकता है जबकि वह जीएसटी भरने के लिए उत्तरदायी नहीं है?

13. क्या उचित अधिकारी के माध्यम से विभाग, एक व्यक्ति के GST में पंजीकरण के लिए स्वयं–मोटो आगे बढ़ सकता है?

14. क्या किसी भी व्यक्ति को दी गई पंजीकरण स्थायी है?

15. क्या संयुक्त राष्ट्र संघों के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण करना आवश्यक है?

16. संयुक्त राष्ट्र को निकाय पर कर योग्य व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या है?

17. एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है?

18. क्या होता है जब पंजीकरण जान–बूझकर गलत वक्तव्य, धोखाधड़ी या तथ्यों के दमन के माध्यम से प्राप्त होता है?

19. जीएसटी कानून के तहत सेवाओं के लिए केन्द्रीकृत पंजीकरण लेने का कोई विकल्प है क्या?

20. व्यवसाय के हस्तांतरण पर क्या दायित्व हो सकता है। (जहाँ तक पंजीकरण का सम्बन्ध है)

21. क्या रजिस्ट्रेशन के समय, निर्धारिती को अपने सभी व्यापारिक व्यवसायों को घोषित करना होगा?

22. क्या पंजीकरण रद्द करने से उस व्यक्ति पर कोई दायित्व लागू हो जाता है जिसका पंजीकरण रद्द हो गया है?

© The Institute of Chartered Accountants of India

11. उत्तर/संकेत (Answer/Hints)

1. (d) **2.** (d) **3.** (d) **4.** (a)

5. (a) यदि प्रत्येक कम्पनी का कारोबार चालू वित्त वर्ष [धारा 22] में विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त ₹ 20 लाख [राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में] से अधिक हो तो वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। चूँकि दिए गए मामले में, ढंपुर इंडस्ट्रीज का कारोबार 1 सितम्बर को ₹ 20 लाख से अधिक था, यह दिनांक को पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

इसके अलावा, पंजीकरण के लिए आवेदन को ऐसी तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा कर दिया गया है, पंजीकरण उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस पर व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो [धारा 25 अध्याय III के नियम 10 के साथ पढ़ा होगा–सीजीएसटी नियमों का पंजीकरण, 2017] ।इसलिए, पंजीकरण की प्रभावी तिथि 1 सितम्बर है।

(b) दिए गए मामले में, 25 अक्टूबर को मेहता टेलीसर्विसेज का कारोबार ₹ 20 लाख से अधिक हो गया, यह इस दिनांक को पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

इसके अलावा, पंजीकरण के लिए आवेदन उस तिथि से 30 दिनों के बाद जमा कर दिया गया है जब वह व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, पंजीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। इसलिए पंजीकरण की प्रभावी तिथि 5 दिसम्बर है।

6. पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए एक स्थायी खाता संख्या अनिवार्य है। इसके लिए एक अपवाद एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति है एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को पैन के बजाय अन्य निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जा सकता है उसे अपने अधिकृत पासपोर्ट की एक स्वयं–साक्षांकित प्रति के साथ अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन के साथ जमा करना होगा जो मान्य पैन वाला एक भारतीय निवासी है और आवेदन एक अलग निर्धारित प्रपत्र में जमा किया जायेगा [धारा 25 (6) और (7)] ।

7. (a) धारा 22 में कहा गया है कि हर सप्लायर पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है यदि उसका कारोबार वित्त वर्ष में एक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में ₹ 20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹ 10 लाख) से अधिक है। हालांकि, धारा 24 के अनुसार, व्यक्ति/सेवा या अन्य कर योग्य व्यक्तियों की ओर से दोनों व्यक्ति आपूर्ति कर रहे हैं, चाहे वह एजेंट के रूप में हो या न तो पंजीकृत होना जरूरी है, भले ही उसका कुल कारोबार वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 20 लाख से अधिक न हो।

(b) धारा 23 के अनुसार, एक कृषि उत्पादक जो केवल भूमि की खेती के उत्पादन की आपूर्ति में लगे हुए हैं, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

8. पंजीकरण व्यवसाय को निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा :

- माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है

© The Institute of Chartered Accountants of India

- वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के कारण जीएसटी के भुगतान के लिए या व्यवसाय द्वारा दोनों के लिए उपयोग किए जा सकने वाले इनपुट वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए करों का उचित लेखा।
- कानूनी तौर पर अपने खरीदारों से कर एकत्र करने और खरीदारों या प्राप्तकर्ताओं को दी गई वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किए गए करों का श्रेय पास करने के लिए अधिकृत।
- जीएसटी कानूनों के तहत दिये गए कई अन्य लाभों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के पात्र बनें।

9. नहीं, जीएसटी पंजीकरण के बिना एक व्यक्ति अपने ग्राहकों से जीएसटी जमा नहीं कर सकता है और न ही उसके द्वारा जीएसटी के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

10. नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी है, उन्हें प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग पंजीकृत करना होगा जहाँ उनका व्यवसाय संचालन होता है। (और जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है)।

11. हाँ। धारा 25 के उप–धारा (2) के प्रावधान के अनुसार, राज्य में एक से अधिक व्यापारिक ऊर्ध्वाधर वाले व्यक्ति, प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त कर सकता है, ऐसी शर्तों के अनुसार जो निर्धारित किया जा सकता है।

12. हाँ। धारा 25 के उप–धारा (3) के सन्दर्भ में, एक व्यक्ति, हालांकि धारा 22 या 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, खुद को स्वेच्छा से पंजीकृत कर सकता है इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जो कि एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति लागू हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए आवेदन करें।

13. हाँ। धारा 25 के उप–धारा (8) के संदर्भ में, जहाँ जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत होने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण प्राप्त करने में विफल रहता है, उचित अधिकारी, किसी भी कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिसे सीजीएसटी अधिनियम के तहत लिया जा सकता है या समय के लिए किसी भी अन्य कानून, ऐसे व्यक्ति को जिस तरह से CGST नियमों, 2017 में निर्धारित किया गया है, पंजीकृत करना जारी रखें।

14. हाँ। पंजीकरण प्रमाण पत्र स्थायी है जब तक कि समर्पण, रद्द, निलंबित या निरस्त नहीं किया गया।

15. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 25 (9) के सन्दर्भ में, सभी अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकाय, वाणिज्य दूतावास या विदेशी देशों के दूतावास और किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति सूचित करने के लिए जीएसटी पोर्टल से एक अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

जीएसटीआईएन संरचना के अनुसार राज्यों में आईडी की संरचना एक समान होगी यह केन्द्र और राज्यों के लिए समान होगा। इस यूआईएन को उन द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की अधिसूचित आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के धन वापसी का दावा करने की आवश्यकता होगी, किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

16. संयुक्त राष्ट्र को निकायों को कर योग्य आपूर्तिकर्ता से उम्मीद है कि इन चालानों पर यूआईएन का उल्लेख किया जाए और ऐसी आपूर्ति का इलाज वही हो जो किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति (बी 2 बी) को भेजनी पर किया जाए और इसके चालान अपलोड किए जाएंगे।

17. धारा 27 (1) के संदर्भ में, प्रावधानों के अनुसार, ''आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति "या" अनिवासी कर योग्य व्यक्ति" को जारी किए गए पंजीकरण का प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए आवेदन में निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा या पंजीकरण को प्रभावी तारीख से 90 दिन, जो भी पहले हो। हालांकि, उक्त कर योग्य व्यक्ति के अनुरोध पर उचित अधिकारी, 90 दिनों से अधिक की अवधि के 90 दिनों के पूर्व की अवधि की वैधता का विस्तार कर सकते हैं।

18. ऐसे मामलों में, पंजीकरण को उचित अधिकारी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया जा सकता है [धारा 29 (2) (ई]।

19. नहीं, टैक्स पेपर को हर राज्य में अलग पंजीकरण करना पड़ता है जहाँ से वह कर योग्य आपूर्ति करता है।

20. हस्तांतरण या उत्तराधिकारी इस तरह के हस्तांतरण या उत्तराधिकारी से प्रभावी होने के लिए पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे इस तरह के हस्तांतरण या उत्तराधिकारी की तिथि से एक ताजा पंजीकरण प्राप्त करना होगा [धारा 22 (3)]

21. हाँ। व्यापार और व्यवसाय की जगह का मुख्य स्थान क्रमशः सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (89) और 2 (85) के तहत परिभाषित किया गया है। करदाता को व्यापार के प्रमुख स्थान के साथ–साथ पंजीकरण के रूप में व्यापार के अतिरिक्त स्थानों का विवरण भी घोषित करना होगा।

22. हाँ, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29(5) के अनुसार, हर पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वह एक राशि जमा करेगा, अपने बही खाते से नामे करते हुए, जो कि बराबर होगा निविष्ट करके जमा धन से और संपूर्ण व अर्ध सम्पूर्ण वस्तु के निविष्ट पर या भंडार में रखा हुआ या पूँजीगत माल में, या संयंत्र और मशीनों में, रद्दीकरण की तारीख से पिछले ही दिन तक या वस्तु पर कर योग्य उत्पाद, जो भी अधिक हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के तहत हुए संशोधन

(Amendments Made Vide The Finance (No. 2) Act 2019]

वित्त (संख्या. 2) अधिनियम 2019, 01/08/2019 से प्रभावी हो गया है। हालांकि, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के तहत CGST अधिनियम और IGST अधिनियम में किए गए संशोधन अधिकारिक राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ही प्रभावी होगा। इस तरह की अधिसूचना तब तक जारी नहीं की गई है जब तक यह अध्ययन सामग्री छपाई के लिए जारी नहीं की जाती है। इसलिए, केन्द्र सरकार द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद ही ICAI द्वारा मई 2020/या नवम्बर 2020 परीक्षाओं के लिए इस तरह के संशोधनों की प्रयोज्यता या अन्यथा घोषणा की जाएगी।

नीचे दी गई तालिका में, पंजीकरण से सम्बन्धित मौजूदा प्रावधानों[16] की तुलना वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित प्रावधानों के साथ ही गई है।

एक बार परीक्षा के लिए ऐसे संशोधनों की प्रयोज्यता घोषणा ICAI द्वारा की जाती है, छात्रों को अध्याय में चर्चा किए गए प्रावधानों के स्थान पर दिए गए प्रावधानों को पढ़ना चाहिए।

मौजूदा प्रावधान	**वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित प्रावधान**	**टिप्पणियां**
धारा 22 की उपधारा (1) "प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा" तथा सीमाएं जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है।"	धारा 22 की उपधारा (1)— द्वितीय नियम तथा व्याख्या सम्मिलित करना "प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होगा..... तथा सीमाएं जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है।" बशर्ते कि सरकार, राज्य और परिषद् की सिफारिशों पर, कुल बिक्री को ₹ 20 लाख से बढ़ा सकती है, जो आपूर्तिकर्ता के मामले में ₹ 40 लाख से अधिक नहीं है, जो विशेष रूप से माल की आपूर्ति में लगे हुए हैं, ऐसी स्थितियों और सेवाओं के अधीन, जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है। व्याख्या–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को विशेष रूप से माल की आपूर्ति में लगे रहने पर विचार किया जायेगा, भले ही वह जमा राशि, ऋण तथा अग्रिम के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की कर मुक्त आपूर्ति में लगे हों। जहां तक ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया हो।	दूसरा नियम धारा 22(1) में सरकार को सशक्त बनाने के लिए डाला जा रहा है ताकि पंजीकरण के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाया जा सके राज्य के अनुरोध पर और GST परिषद् की सिफारिशों पर ₹ 20 लाख से ₹ 40 लाख, एक आपूर्तिकर्ता के मामले में जो विशेष रूप से माल की आपूर्ति में लगा हुआ है, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है। वर्तमान में, सम्बन्धित अधिकतम सीमा कुछ राज्यों के लिए अधिसूचना संख्या 10/2019 CT दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से प्रभावी बना दी गई है।

[16] Provisions existing as on the date when the study Material was released for printing.

© The Institute of Chartered Accountants of India

		विस्तारित किए जाने के लिए प्रस्तावित एक प्रमुख छूट यह है कि एक व्यक्ति को माल की आपूर्ति में विशेष रूप से लगे हुए माना जायेगा, भले ही वह अब तक जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की कर मुक्त आपूर्ति में लगे हुए हों, जहां तक ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
	धारा 25 में डाली गई नई उपधारा 6A से (6D) **उपधारा (6A)** प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस तरह के रूप और तरीके से निर्धारित समय के भीतर प्रमाणीकरण, या आधार संख्या के आधिपत्य के सबूत प्रस्तुत करेगा। बशर्ते कि अगर आधार नम्बर पंजीकृत व्यक्ति को नहीं सौंपा गया है, तो ऐसे व्यक्ति को परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से पहचान के वैकल्पिक और साधन की पेशकश की जायेगी। बशर्ते आधार संख्या के आधिपत्य के प्रमाणीकरण या फर्जी सबूत या पहचान के वैकल्पिक और साध्य साधन प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, ऐसे व्यक्ति को आबंटित पंजीकरण अवैध माना जायेगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उस व्यक्ति के पास पंजीकरण नहीं है। **उपधारा (6B)** अधिसूचना की दिनांक से या पर, प्रत्येक व्यक्ति को, पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए, प्रमाणीकरण या आधार संख्या के आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत करना जैसा कि	नये करदाताओं के निर्दिष्ट वर्ग के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए और पंजीकृत करदाताओं के कुछ वर्ग को आधार प्रमाणीकरण से गुजरने के तरीके को निर्धारित करने के लिए CGST अधिनियम की धारा 25 में नई उपधाराओं को डाला जा रहा है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	परिषद् की सिफारिशों पर सरकार उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है। बशर्ते कि अगर किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं सौंपी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को पहचान के वैकल्पिक और साध्य साधनों की पेशकश की जाएगी जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है। **उपधारा (6C)** अधिसूचना की दिनांक से या पर, एक व्यक्ति के अलावा प्रत्येक व्यक्तित्व को, पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए, कर्ता, प्रबन्ध निदेशक, पूर्ण समय के निदेशक, ऐसे साझेदार की संख्या, संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्य, ट्रस्टी का बोर्ड, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या ऐसे व्यक्तियों का अन्य वर्ग के आधार संख्या के प्रमाणीकरण के आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत करना जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है। बशर्ते कि अगर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्या नहीं सौंपी गई है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग को पहचान के वैकल्पिक और साध्य साधनों की पेशकश की जायेगी जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है। **उपधारा (6D)** उपधारा (6A) या उपधारा (6B) या उपधारा (6C) के प्रावधान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश या उसके हिस्से पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। व्याख्या : इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "आधार संख्या" का अर्थ नहीं होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य पूरक, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खण्ड (A) में दिया गया है।	

© The Institute of Chartered Accountants of India